(49) (A)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।

क्रमांक: शिविरा/माध्य/स-5/सीबीएसई/99 दिनांक: 28/7/99

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र (2) सामुदायिक विभाग,
प्रीत विहार, विकास मार्ग,
नई-दिल्ली ।

विषय:- सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में ।

राज्य सरकार के पत्रांक 14(8)शिक्षा-1/99 दिनांक 9.7.99 द्वारा अनुमोदन के पश्चात - **बिड़ला व्हाईट विद्यामंदिर, राजश्रीनगर, खारिया खंगार, (जोधपुर)** ------ को माध्यमिक स्तर तक अंग्रेजी माध्यम में निर्देशानुसार सत्र 1999-2000 से आपके बोर्ड द्वारा यदि सम्बद्धता प्रदान की जाती है तो इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी । सम्बद्धता प्रदान किये जाने की एक प्रति इस विभाग को भी भिजवाई जावे ।

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

प्रतिलिपि-

1) उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर ।
2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।
3) संस्था प्रधान, **बिड़ला व्हाईट विद्यामंदिर, राजश्रीनगर, खारिया खंगार(जोधपुर)**
4) प्रमाण प-4

उपनिदेशक(माध्यमिक)

Principal
The Aditya Birla Public School
Kharia Khangar
Jodhpur-342606

18/4

Principal

11

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (प्रथम) शिक्षा विभाग, जोधपुर

कार्यालय आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था /मान्यता, सहायता, अनुदान एवम् सेवा शर्तें आदि /नियम 1993 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिरला वाइट एजूकेशन सोसायटी, जोधपुर द्वारा संचालित बिरलावाईट विद्यामंदिर, राजश्रीनगर खारिया जोधपुर को दलीय निरीक्षण अधिकारियों की अनुशंषा पर उच्च प्राथमिक स्तर की 97-98 मान्यता अभिवृद्धि करते हुए सत्र 98-99 में उच्च प्राथमिक स्तर की स्थायी (अंग्रेजी माध्यम)मान्यता निम्न शर्तों एवम् अनुबन्धों पर प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय में शत-प्रतिशत प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जावे। अध्यापकों की नियुक्ति के समय विभागीय प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जावे।
2. विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों को राजकीय नियमानुसार वेतन, महंगाई भत्ते, भत्ते एवम् पी.एफ. की सुविधा प्रदान कराई जावे।
3. विद्यालय भवन सुरक्षित होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र तीन वर्ष में एक बार सम्बन्धित सक्षम अभियंता से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे।
4. विद्यालय को बिना विभागीय पूर्वानुमति के अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया जावे।
5. इस कार्यालय की बिना पूर्व-अनुमति प्राप्त किए कक्षा नवम प्रारम्भ नहीं की जावे।
6. विद्यालय के समस्त अभिलेख विद्यालय में ही रखे जावें तथा किसी भी अधिकारी द्वारा अभिलेख जाँच हेतु माँगने पर प्रस्तुत किये जावें।
7. संस्था द्वारा विभागीय मान्यता की अवहेलना करने पर दी गई मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकेगी।
8. विद्यालय की वार्षिक-योजना तैयार कर उसका अनुमोदन कराया जावे तथा उसी के अनुसार शिक्षण-कार्य कराया जावे।

(शिवजीराम चौधरी) 9/12/98
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा (प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांकः- जिशिअ/प्रा शि/ प्रथम/ जोध/ मान्यता/ निजी/98 | 1559 दि. 9.12.98

प्रतिलिपिः-

1. व्यवस्थापक, बिरला वाइट एजूकेशन सोसायटी, जोधपुर
2. प्रधानाध्यापक,
3. अवर उप जिला शिक्षा अधिकारी, स्थानीय कार्यालय, जोधपुर।
4. सांख्यिकी निरीक्षक, स्थानीय कार्यालय, जोधपुर।
5. निजी/रक्षक पञ्जिका।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा (प्रथम)
शिक्षा विभाग, जोधपुर

R.No. 30
10.12.98

10.12

Principal

Principal
The Aditya Birla Public School
Kharia Khangar
Jodhpur-342606